आवारा कुत्तों पर ‘सतत निगरानी’ का नया तंत्र: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा | समाचार संदर्भ: 19 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

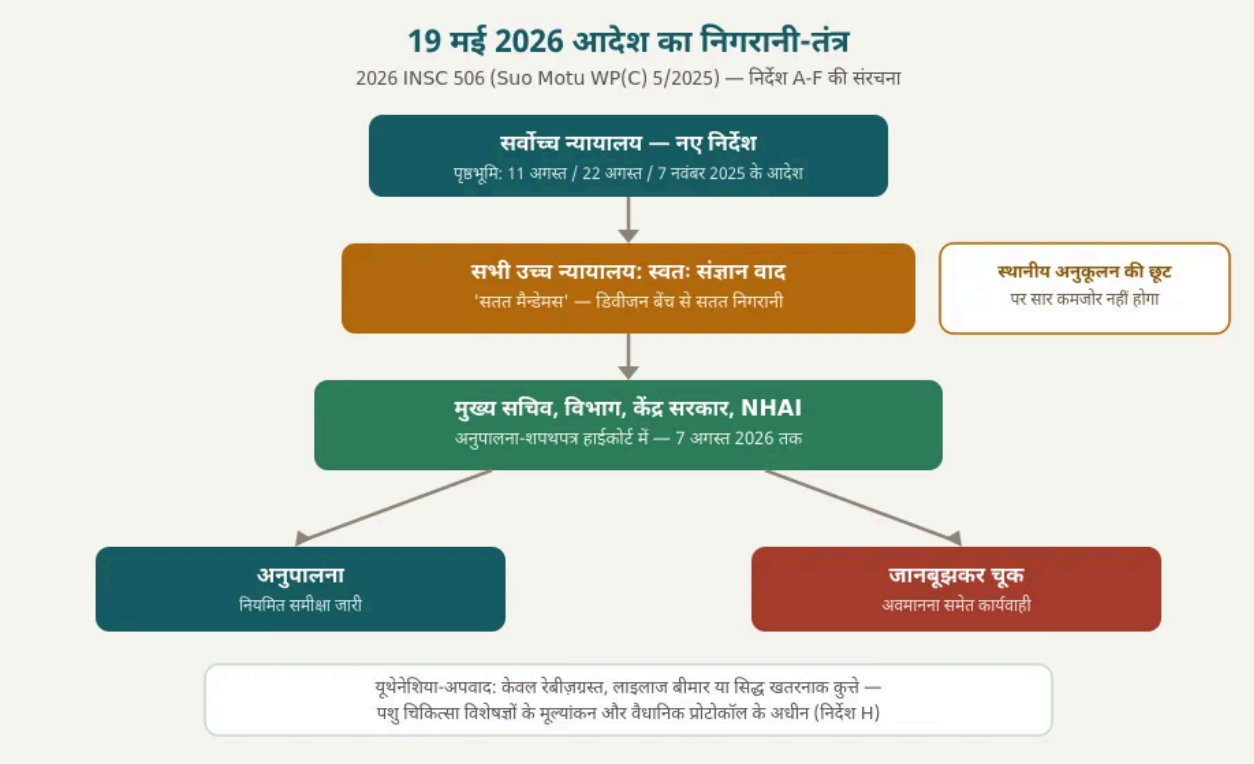
आवारा कुत्तों के बढ़ते झुंड और कुत्ते-काटने की घटनाएँ वर्षों से भारत के शहरों की ज्वलंत समस्या रही हैं। कानूनी ढाँचा मौजूद है — पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बने पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2001, जिनमें 2023 में संशोधन हुआ, और जिनका केंद्रीय मॉडल ‘पकड़ो-नसबंदी करो-टीका लगाओ-वापस छोड़ो’ (Capture-Sterilize-Vaccinate-Release, CSVR) है। समस्या कानून की अनुपस्थिति की नहीं, क्रियान्वयन की रही: निर्णय में दर्ज है कि नियमों और नगरपालिका उपनियमों के बावजूद व्यावहारिक परिणाम अव्यवस्थित (suboptimal) रहे और कई राज्यों में कुत्ते-काटने के मामले साल-दर-साल बढ़े, जिनमें अधिकतर सार्वजनिक संस्थानों — स्कूलों, अस्पतालों, पार्कों — के भीतर या आसपास घटे। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में स्वतः संज्ञान (suo motu) वाद ‘In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price’ चलाया और 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 के आदेशों में संस्थागत क्षेत्रों की सुरक्षा, नसबंदी-टीकाकरण और अनुपालना के निर्देश दिए। लेकिन अनुपालना अधूरा रहा — और यही अधूरापन 19 मई 2026 के आदेश का कारण बना।

खबरों में क्यों

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया की तीन-न्यायाधीश पीठ ने 19 मई 2026 को (2026 INSC 506) पुनरीक्षण/संशोधन की माँगों को खारिज करते हुए 11 अगस्त 2025 के निर्देशों की पुष्टि की और एक नई निगरानी-व्यवस्था बनाई। मुख्य निर्देश: (1) सभी उच्च न्यायालय अपने यहाँ ‘सतत मैन्डेमस’ के रूप में स्वतः संज्ञान वाद दर्ज कर सर्वोच्च न्यायालय के 22 अगस्त 2025, 7 नवंबर 2025 और इस आदेश के निर्देशों का अनुपालना स्वयं निगराएँ; (2) हाईकोर्ट स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्देशों का दायरा समायोजित कर सकते हैं, पर उनका सार कमजोर नहीं कर सकते; (3) अनुपालना में जानबूझकर चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना समेत कार्यवाही होगी; (4) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, संबंधित विभाग, केंद्र सरकार और NHAI 7 अगस्त 2026 तक अनुपालना-शपथपत्र दाखिल करेंगे; (5) अत्यधिक खतरनाक स्थिति में — पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के मूल्यांकन और 1960 अधिनियम व ABC नियमों के प्रोटोकॉल के अधीन — केवल रेबीज़ग्रस्त, लाइलाज बीमार या सिद्ध रूप से खतरनाक/आक्रामक कुत्तों के लिए यूथेनेशिया जैसा वैधानिक उपाय संभव होगा।

प्रमुख अवधारणा: ‘सतत मैन्डेमस’ (continuing mandamus) क्या है?

मैन्डेमस यानी परमादेश — न्यायालय का वह आदेश जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसका कर्तव्य करने का हुक्म देता है। सामान्यतः न्यायालय फैसला देकर वाद बंद कर देता है; लेकिन जब समस्या लंबी और क्रियान्वयन-केंद्रित हो, तो न्यायालय वाद को ‘जीवित’ रखता है और समय-समय पर प्रगति-रिपोर्ट माँगकर अनुपालना की निगरानी करता रहता है — यही ‘सतत मैन्डेमस’ है। इस आदेश की खासियत यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निगरानी-भार खुद न रखकर सभी उच्च न्यायालयों को दे दिया — हर राज्य में हाईकोर्ट अपने क्षेत्र के नगर निकायों, विभागों और अधिकारियों से सीधे हिसाब माँगेगा। यह विकेंद्रीकृत न्यायिक निगरानी का मॉडल है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

वाद	**Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5 of 2025 — 'In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price' सहित सम्बद्ध याचिकाएँ; 2026 INSC 506**
पीठ और तिथि	न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता (लेखक न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया; 19 मई 2026, नई दिल्ली
पृष्ठभूमि-आदेश	11 अगस्त 2025 (पुनःपुष्टि), 22 अगस्त 2025 और 7 नवंबर 2025 — संस्थागत क्षेत्रों की सुरक्षा और नसबंदी-टीकाकरण के निर्देश
नई व्यवस्था	सभी उच्च न्यायालयों में स्वतः संज्ञान 'सतत मैन्डेमस' वाद; स्थानीय अनुकूलन की छूट (सार कमजोर किए बिना); अनुपालना-विफलता पर अवमानना कार्यवाही
शपथ-पत्र	मुख्य सचिव, संबंधित विभाग, केंद्र सरकार और NHAI — 7 अगस्त 2026 तक, हाईकोर्ट निर्धारित प्रारूप में
यूथेनेशिया की सीमा	केवल रेबीज़ग्रस्त, लाइलाज बीमार या सिद्ध रूप से खतरनाक/आक्रामक कुत्ते — पशु चिकित्सा विशेषज्ञों के मूल्यांकन और वैधानिक प्रोटोकॉल के अधीन

नया तंत्र कैसे काम करेगा — तीन कड़ियाँ

विकेंद्रीकृत न्यायिक निगरानी: सर्वोच्च न्यायालय हर राज्य की नगरपालिका की प्रगति स्वयं नहीं देख सकता। अब हर उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में वाद दर्ज कर डिवीजन बेंच से नियमित समीक्षा कराएगा — निगरानी निकट, स्थानीय और सतत होगी।

उत्तरदायित्व की शृंखला: मुख्य सचिव से नगर निकाय के अधिकारी तक — नामित अधिकारी शपथ-पत्र में अपना काम रिपोर्ट करेगा; जानबूझकर चूक पर अवमानना की गंभीर संभावना। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि निकायों और विभागों के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपचार और सुरक्षा का दोहरा ट्रैक: एक ओर ABC नियम, 2023 के तहत नसबंदी-टीकाकरण (CSVR) और एंटी-रेबीज़ दवा का अनिवार्य स्टॉक; दूसरी ओर संस्थागत क्षेत्रों — स्कूल, अस्पताल, आवासीय परिसर — की सुरक्षा। दोनों के बीच कड़ी: अनुपालना-रिपोर्टिंग का निर्धारित प्रारूप (आदेश के साथ संलग्न)।

आदेश का महत्त्व

क्रियान्वयन-पूर्वाग्र से निगरानी की ओर: पिछले दो दशकों में इस विषय पर आदेश आते रहे और लागू होते रहे — 19 मई का आदेश इस अंतराल को भरता है: अब प्रश्न 'क्या नियम है?' नहीं, 'किसने कितना किया?' होगा, और जवाब हाईकोर्ट के समक्ष होगा।

अनुच्छेद 21 का विस्तार: पीठ ने कहा कि राज्य की सकारात्मक जिम्मेदारी है कि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सार्वजनिक परिसरों में रोकथाम योग्य चोट या बीमारी के शिकार न हों — सार्वजनिक सुरक्षा को मौलिक अधिकार के ढाँचे में रखा गया।

संघीय क्रियान्वयन का मॉडल: केंद्रीय निर्देश + राज्य-स्तरीय न्यायिक निगरानी + स्थानीय अनुकूलन — यह ढाँचा अन्य क्रियान्वयन-जटिल क्षेत्रों (जैसे पोषण, स्वच्छता) के लिए भी मिसाल बन सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचना-बिंदु

क्षमता की वास्तविकता: नसबंदी-केंद्र, शेल्टर और पशु चिकित्सक देशभर में अपर्याप्त हैं; शपथ-पत्र दाखिल होना अपने आप में क्षमता नहीं बनाता (विश्लेषणात्मक)।

पशु-कल्याण का तनाव: यूथेनेशिया-प्रावधान सीमित और शर्तबद्ध है, फिर भी पशु-कल्याण समूह इसके दुरुपयोग की आशंका जताते रहे हैं; आदेश में वैज्ञानिक मूल्यांकन की शर्त इसी संतुलन का प्रयास है (विश्लेषणात्मक)।

आंकड़ों की विश्वसनीयता: कुत्ते-काटने के आंकड़े राज्यों से अनियमित रिपोर्ट होते हैं; निर्णय में भी 'reported cases' की ही चर्चा है — बिना मानकीकृत गिनती के प्रगति मापना कठिन होगा (विश्लेषणात्मक)।

आगे की राह

तीन कदम निर्णायक होंगे: (i) नसबंदी-टीकाकरण क्षमता का वास्तविक विस्तार — शेल्टर, पशु चिकित्सक और एंटी-रेबीज़ स्टॉक का राज्य-वार मूल्यांकन, जैसा शपथ-पत्र प्रारूप माँगता है; (ii) कुत्ते-काटने और नसबंदी की सार्वजनिक, मानकीकृत डेटा-रिपोर्टिंग, ताकि हाईकोर्ट-निगरानी आंकड़ों पर टिके; (iii) स्कूल-अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसरों के लिए स्थानीय SOP — सीमा-सुरक्षा, खाद्य-अपशिष्ट का प्रबंधन और नागरिक-शिकायत प्रणाली। 7 अगस्त 2026 के शपथ-पत्र पहली असली कसौटी होंगे।

अवधारणा में अंतर

तीन अंतर स्पष्ट रखें: (1) CSVR मॉडल (नसबंदी कर वापस छोड़ना) बनाम संस्थागत क्षेत्रों की विशेष सुरक्षा — दोनों अलग उपचार हैं, एक दूसरे का विकल्प नहीं; (2) निर्देश जारी करना बनाम निर्देशों की निगरानी — 19 मई का आदेश दूसरा है, पहले के निर्देश 2025 के हैं; (3) सामान्य यूथेनेशिया बनाम शर्तबद्ध अपवाद — आदेश केवल रेबीज़ग्रस्त, लाइलाज बीमार या सिद्ध खतरनाक कुत्तों तक सीमित है, सामूहिक हत्या की अनुमति नहीं।

मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका की भूमिका, नागरिक सुरक्षा, स्थानीय निकाय; GS-IV: मानव सुरक्षा बनाम पशु-करुणा का नैतिक संतुलन। उत्तर में आदेश-तथ्य (2026 INSC 506; निर्देश A-F; 7 अगस्त 2026 की समय-सीमा — attributed) और CSVR/ अनुच्छेद 21 का तर्क साथ रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'आवारा पशु-प्रबंधन की समस्या कानून की कमी की नहीं, क्रियान्वयन की विफलता की है।' 19 मई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय आदेश के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: समस्या और 2025-26 की न्यायिक पृष्ठभूमि।

मुख्य भाग में: अवधारणा: CSVR और सतत मैन्डेमस; तर्क: विकेंद्रीकृत निगरानी, उत्तरदायित्व-शृंखला, अनुच्छेद 21; सीमाएँ: क्षमता, डेटा, कल्याण-तनाव; मार्ग: क्षमता-विस्तार, मानकीकृत डेटा, स्थानीय SOP।

निष्कर्ष में: सार्वजनिक सुरक्षा और पशु-कल्याण के संतुलन के लिए स्थानीय क्षमता, मानकीकृत आँकड़े और जवाबदेह निगरानी सुझाएँ; शपथ-पत्र या आदेश को वास्तविक अनुपालन का प्रमाण न मानें। विशेषज्ञ मूल्यांकन और वैधानिक शर्तों वाले अपवाद को सामूहिक हत्या की अनुमति न लिखें।

स्रोत

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — आदेश-पाठ, 2026 INSC 506 (19 मई 2026)
- The Hindu BusinessLine — पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज (पूरक, प्रेस-आधारित)

निर्देशों का सार, पीठ, तिथियाँ, शपथ-पत्र समय-सीमा और यूथेनेशिया-शर्तें sci.gov.in के आदेश-पाठ से शब्दशः सत्यापित; प्रेस-रिपोर्ट केवल पूरक संदर्भ।

यह भी पढ़ें: बाघों का सक्रिय प्रबंधन रोडमैप: सरिस्का के 18 साल, 3,682 बाघ और 25 प्राथमिकता रिजर्व | पैदल चलना अब मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का फुटपाथ फैसला और कानून बनाने की माँग।

याद रखें: 19 मई 2026 के आदेश का सार एक ही है: नियम पहले से हैं, अब हिसाब चाहिए। निगरानी का भार हाईकोर्टों को, जिम्मेदारी नामित अधिकारियों को, और पहली परीक्षा की तारीख 7 अगस्त 2026 को तय है।